



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 642/2022

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. राजरानी पत्नी श्री मोहनलाल जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सीमा देवी पत्नी श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. जंग सिंह पुत्र श्री बख्तवार सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राजेन्द्र पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सोमप्रकाश पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :-06.02.2023

वादीगण राजरानी वगैरा ने प्रतिवादीगण जंग सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से जरिये पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से दिनांक 11.04.2022 को तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में 1.743 है. कृषि भूमि खरीद की थी। पंजीकृत बैयनामा की चित्रप्रति एवं जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से जरिये पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से दिनांक 11.04.2022 को तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में 1.743 है. कृषि

लगातार --2



भूमि खरीद की थी। उक्त कृषि भूमि खरीद से लेकर आज तक वादीगण की कब्जाकाशत में है। उक्त खाता अपवादित होने के कारण वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में नामांकन दर्ज नहीं हुआ। जिसका वादीगण ने अन्य सहकाशतकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया है तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादीगण काशत करते चले आ रहे हैं। वादीगण का कब्जाकाशत बाबत् अन्य किसी भी सहकाशतकारान के साथ कोई विवाद नहीं है। वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) वादीगण राजरानी पत्नी श्री मोहनलाल एवं सीमा देवी पत्नी श्री सोहनलाल समस्त जाति जाट निवासीगण नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
155/131	2	16/1/0.051 है., 16/2/0.013 है., 16/3/0.038 है., 23/1/0.177 है., 23/2/0.038 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

156/131	3	20/1/0.152 है., 20/2/0.038 है., 21/0.253 है., 22/2/0.096 है.
---------	---	---

156/132	4	1,2/0.253 है.प्र., 3/2/0.127 है.
---------	---	----------------------------------

नहरी 1.590 है., गै.मु. खाला 0.038 है., गै.मु. रास्ता 0.114 है., कुल 1.742 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 जंग सिंह पुत्र श्री बख्तवार सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
155/131	2	21/0.038 है., 22/1/0.076 है., 22/2/0.038 है.

156/131	3	15/3/0.048 है.
---------	---	----------------

नहरी 0.076 है., गै.मु. रास्ता 0.124 है., कुल 0.200 है. मय गै.मु. कृषि भूमि



(ग) प्रतिवादी सं. 2 राजेन्द्र पुत्र श्री लालचन्द(0.297 है.) एवं प्रतिवादी सं. 3 सोमप्रकाश पुत्र श्री सहीराम(0.631 है.) समस्त जाति जाट निवासीगण नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
155/132	5	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.
156/132	4	9/2/0.169 है., 10/0.253 है.

नहरी 0.878 है., गै.मु. खाला 0.050 है., कुल 0.928 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

यह कि वादीगण ने जरिये पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से प्रतिवादी सं. 1 से वाद की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि खरीद की है। जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में हुए बंटवारा में वर्णित किया गया है, जिसके अनुसार वादीगण खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा खाता अलग से कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से वादीगण को वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खातेदार काशतकार मान लेने तथा उक्त अनुसार घोषणा जारी करवाकर खाता विभाजित करवाकर रकमराज अलग से कायम करवा देने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 का ऋण चुकता का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रतिवादी सं. 5 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा



आपस में कोई विरोध नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से जरिये पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से दिनांक 11.04.2022 को तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.743 है. कृषि भूमि खरीद की थी। तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की जमाबन्दी पेश की। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा एवं सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादीगण राजरानी पत्नी श्री मोहनलाल एवं सीमा देवी पत्नी श्री सोहनलाल समस्त जाति जाट निवासीगण नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
155/131	2	16/1/0.051 है., 16/2/0.013 है., 16/3/0.038 है., 23/1/0.177 है., 23/2/0.038 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

156/131	3	20/1/0.152 है., 20/2/0.038 है., 21/0.253 है., 22/2/0.096 है.
---------	---	---

156/132	4	1,2/0.253 है.प्र., 3/2/0.127 है.
---------	---	----------------------------------

नहरी 1.590 है., गै.मु. खाला 0.038 है., गै.मु. रास्ता 0.114 है., कुल 1.742 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 जंग सिंह पुत्र श्री बख्तवार सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि का विवरण :-



चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
156/131	3	15/3/0.048 है.

कुल 0.048 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 3 सोमप्रकाश पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
155/131	2	21/0.038 है., 22/1/0.076 है., 22/2/0.038 है.
155/132	5	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.
156/132	4	9/2/0.169 है., 10/0.253 है.

नहरी 0.954 है., गै.मु. खाला 0.126 है., कुल 1.080 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में 2.949 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 1.742 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 3 को 1.080 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम एवं प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 का खाता अलग कायम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया



डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 642/2022

1. राजरानी पत्नी श्री मोहनलाल जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सीमा देवी पत्नी श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. जंग सिंह पुत्र श्री बख्तवार सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राजेन्द्र पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सोमप्रकाश पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 06.02.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

(क) वादीगण राजरानी पत्नी श्री मोहनलाल एवं सीमा देवी पत्नी श्री सोहनलाल समस्त जाति जाट निवासीगण नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
155/131	2	16/1/0.051 है., 16/2/0.013 है., 16/3/0.038 है., 23/1/0.177 है., 23/2/0.038 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
156/131	3	20/1/0.152 है., 20/2/0.038 है., 21/0.253 है., 22/2/0.096 है.

लगातार --2



-2-

156/132 4 1,2/0.253 है.प्र., 3/2/0.127 है.
नहरी 1.590 है., गै.मु. खाला 0.038 है., गै.मु. रास्ता 0.114 है., कुल 1.
742 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 जंग सिंह पुत्र श्री बख्तवार सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
156/131	3	15/3/0.048 है.

कुल 0.048 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 3 सोमप्रकाश पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
155/131	2	21/0.038 है., 22/1/0.076 है., 22/2/0.038 है.

155/132	5	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.
---------	---	---

156/132	4	9/2/0.169 है., 10/0.253 है.
---------	---	-----------------------------

नहरी 0.954 है., गै.मु. खाला 0.126 है., कुल 1.080 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 28/1 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.949 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 1.742 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 3 को 1.080 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम एवं प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 का खाता अलग कायम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिग्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिग्री किया जावे।

निजX..... निलX..... मुब्लिकX.....निलX..... बाबत्X.....
निल.....100/-..... खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकX.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 06.02. 2023 को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया